

प्रेषक,

मो0 वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

नगरीय निकाय निदेशालय/नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,

उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2024

विषय- नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु रू0 600.00 लाख (रू0 छः सौ लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-08/03/न0प्र0शो0स0/2023-24, दिनांक-11.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त विभाग के अनुदान संख्या-37 के अंतर्गत नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-003-प्रशिक्षण-03-नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख (रू0 बारह सौ लाख मात्र) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वकृति के सापेक्ष नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 600.00 लाख (रू0 छः सौ लाख मात्र) अवमुक्त की गयी है। नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख (रू0 बारह सौ लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 600.00 लाख (रू0 छः सौ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- (1) उक्त धनराशि को निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा कोषागार से आहरित कर नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के बैंक खाते में रखी जायेगी।
- (2) निदेशक, नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित, संहत सूचना शासन के वित्त विभाग तथा नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (5) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक

इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्राशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

- (7) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-7/2023/बी-1-479/दस-2023-231/2023, दिनांक-01 अगस्त, 2023, शासनादेश संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक-19 सितम्बर, 2023 एवं शासनादेश संख्या-39/2023/बी-2-755/दस-2023-244/2023, दिनांक-07 दिसम्बर, 2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू० 600.00 लाख (रू० छः सौ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखा शीर्षक 207000303नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च,2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक-19.09.2023 में प्राशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by
मो० वासिफ

Date: 23/09/2023 23:21:14
Reason: Approved

संख्या- 159/2024/527/नौ-9-001-E-1762279

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सहायक निदेशक(लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
7. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मो० वासिफ)
अनु सचिव।